न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 137 / 2022 / बालोतरा

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. मृतका भीखीदेवी पुत्री समेलाराम पत्नी हरीराम जाति रबारी निवासी नाल हाल कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर के विधिक वारिसान 1/1मांगाराम पुत्र हराराम 1/2बिंजाराम पुत्र हराराम 1/3जुंझाराम पुत्र हराराम 1/4पोनीदेवी पुत्री हराराम जाति रबारी निवासी काठाड़ी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	1. मृतक गेपाराम पुत्र समेलाराम कायम मुकाम 1/1अणदाराम पुत्र गेपाराम 1/2करनाराम पुत्र गेपाराम 1/3तुलसाराम पुत्र गेपाराम 1/4मानाराम पुत्र गेपाराम 1/5छोगाराम पुत्र गेपाराम 1/6शंकरराम पुत्र गेपाराम 1/7सरूपाराम पुत्र गेपाराम 1/8ढपीदेवी बेवा गेपाराम जाति रबारी निवासी नाल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 2. डुंगराराम पुत्र समेलाराम कायम मुकाम 2/1कलाराम पुत्र डुंगराराम 2/2अचलाराम पुत्र डुंगराराम 2/3श्रीमती अतीया देवी पुत्री डुंगराराम 2/4श्रीमती सुखीदेवी पुत्री डुंगराराम जाति पत्नी मोडाराम 2/5श्रीमती पूनकी पुत्री डूंगराराम पत्नी जीवाराम जाति रबारी निवासी हाल फूलन तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर 3. मोहनसिंह पुत्र मगनसिंह 4. भैरूसिंह पुत्र मगनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम सिणेर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 5. जबरसिंह पुत्र वगतावरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम गुडानाल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 6. मैनेजर एस.बी.बी.जे. ए.डी.बी. शाखा सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 7. उप पंजीयक तहसील कार्यालय सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 8. राजस्थान सरकार जरिये

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील प्राधिकारी

	भूमिधारक तहसीलदार सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 9. श्री हल्का पटवारी, पटवार मण्डल गुडानाल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2014 बउनवान भीखीदेवी के कायम मुकाम वगैरह बनाम स्व. गेपाराम के कायम मुकाम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.09.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नरपतसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेंट संख्या 01 के कायम मुकाम की ओर से।
3. वकील श्री राणाराम गौड़ उतरदाता संख्या 03 से 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—21.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट की माता स्व. भीखीदेवी पुत्री समेलाजी पत्नी हरारामजी ने एक राजस्व वाद रेस्पोडेंट के विरूद्ध इस आशय एवं अनुतोष का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम नाल तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 539, 545, 589, 590 रकबा क्रमशः 03.08 बीघा, 03.11 बीघा, 04 बीघा, 01.02 बीघा कुल रकबा 12.01 बीघा। वक्त जागीर मुझ वादीनी के पिता समेलाजी के वक्त सेटलमेंट कब्जा काश्त व खातेदारी की थी। समेलाजी के 3 संतान थी, सबसे बड़ी वादीनी भीखीदेवी, द्वितीय पुत्र गेपाराम व तृतीय डुंगराराम थे। वादीनी के पिता समेलाजी का देहान्त निर्वसीयत गांव नाल में हुआ। समेलाजी हिन्दू थे तथा हिन्दू विधि से शासित होते थे। समेलाजी के देहान्त होने के पश्चात हल्का पटवारी को गलत तथ्य बताकर वादीनी का नाम छिपाकर अकेले गेपाराम व डुंगरराम के नाम का ही फौतेदगी नामांतकरण दर्ज करवा दिया, जो विधि के तहत शुरू से ही शून्य, अवैध व अशुद्ध है। अपीलाधीन आराजी में वादीनी का विधिक तौर पर 1/3 हक हिस्सा कायम है। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वक्त जागीर मुझ वादीनी के पिता समेलाजी के वक्त सेटलमेंट कब्जा काश्त व खातेदारी की थी। समेलाजी के 3 संतान थी, सबसे बड़ी वादीनी भीखीदेवी, द्वितीय पुत्र गेपाराम व तृतीय डुंगराराम थे। वादीनी के पिता समेलाजी का देहान्त निर्वसीयत गांव नाल में हुआ। समेलाजी हिन्दू थे तथा हिन्दू विधि से शासित होते थे। समेलाजी के देहान्त होने के पश्चात हल्का पटवारी को गलत तथ्य बताकर वादीनी का नाम छिपाकर अकेले गेपाराम व डुंगरराम के नाम का ही फौतेदगी नामांतकरण दर्ज करवा दिया, जो विधि के तहत शुरू से ही शून्य, अवैध व अशुद्ध है। अपीलाधीन आराजी में वादीनी का विधिक तौर पर 1/3 हक हिस्सा कायम है। अपीलांट की माता के देहान्त के बाद अपीलांट के द्वारा आदेश 22 नियम 3 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र निश्चित समयावधि में अन्दर म्याद पेश किया गया। जिस पर वादीनी के स्थान पर उनके विधिक वारिसान अपीलांटगण को बतौर वादीगण रेकर्ड पर लिया जाना कानूनी रूप से आवश्यक था, किन्तु अदालत मातहत ने ऐसा कोई आदेश पारित न करके कानूनी भूल की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक प्रबल निर्णय में यह मत व्यक्त किया है कि पैतृक संपति में पुत्री का पुत्रों के समान शेयर हक प्राप्त होगा। वर्ष 1955 के बाद से दिनांक 09.09.2005 के मध्य की लाईन को डेड लाईन घोषित किया गया अर्थात पैतृक संपति में पुत्री का हक किसी प्रकार से समाप्त नहीं होता है। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही कोई दस्तावेजात पेश किए गये, न ही कोई तनकीयात कायम की गई, न ही कोई साक्ष्य लेखबद्ध की गई, न ही साक्ष्य का कोई विश्लेषण किया गया। मात्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र के आड़ में उक्त वादपत्र को यानि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना मूल वाद को खारिज किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अदालत मातहत ने पत्रावली को मनमाने तौर पर यानि आदेशिका दिनांक 12.09.2022 को ही बहस सुनी जाना बताया, तथा निर्णय हेतु दिनांक 19.09.2022 बाले बाले रखी गई तथा दिनांक 19.09.2022 को उक्त प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जबकि दिनांक 12.09.2022 के बाद सरबरक पर तारीख पेशी दिनांक 14.10.2022 अंकित की गई, तथा दिनांक 12.09.2022 व 14.10.2022 के मध्य छोटे अक्षरों में तारीख पेशी दिनांक 30.09.2022 अंकित की गई अर्थात इससे सुस्पष्टतया यह दर्शित हो रहा है कि अदालत मातहत ने अपीलांट को कोई सुनवाई

(मनमोहन कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

का अवसर नहीं दिया। मातहत अदालत के पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने के पश्चात बैक डेट में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रतिकूल जाकर पारित किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—2022 Live Law SC 71 Arunachala Gounder (Dead) By Lrs. Vrs. Ponnusamy And Ors.

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 के कायम मुकाम ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस अपील खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का यथावत रखा जावे।

वकील रेस्पोडेंटस संख्या 03 से 05 ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांटस द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनुसार पुत्री का निर्वसीयत देहान्त हो जाता है तो वह सम्पति पुनः पिता के वारिसान को न्यायगत होगी इस प्रकरण में भी पुत्री का देहान्त हो चुका है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज की जावे। अपीलांट के अधिवक्ता इस पर आपत्ति जाहिर कर निवेदन किया गया कि यह नजीर इस प्रकरण में लागु नहीं होती पुत्री विवाहित थी तथा उसके संतान भी हुई हैं।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण/वादीगण ने हस्तगत वाद को पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए पेश किया गया जबकि इस बिंदु का निस्तारण साक्ष्य सबूत के आधार पर ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2014 बउनवान भीखीदेवी के कायम मुकाम वगैरह बनाम स्व. गेपाराम के कायम मुकाम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.09.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद में तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.05.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

21/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर